न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

दमा नम्बर 36/2025 निर्णय दिनांकः 30.03.2026

नलाईन नम्बर 2025/66

श्वरलाल पुत्र बनाराम जाति मेघवाल निवासी बाना तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

–प्रार्थी–

बनाम

रामचन्द्र पुत्र सुगनाराम | जाति जाट निवासी बाना तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

शान्ति देवी पत्नि रामचन्द्र

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़।

–अप्रार्थीगण–

परस्थितिः–

1. श्री राजूराम बाना अभिभाषक प्रार्थी ।
2. श्री के.के. पुरोहित अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 ता 2
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम से रोही ख्यिाणीबास में खेत खसरा नम्बर 89/280 तादादी 0.5021 हैक्टेयर अवस्थित है। जिसका रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 के खेत ख़सरा नम्बर 282 तादादी 6.5900 हैक्टेयर में से होकर जाता है जो श्रीडूंगरगढ़ से बीदासर सड़क से फटकर अप्रार्थी के खेत के पूर्वी भाग से होते हुए प्रार्थी के खेत में प्रवेश करता है । जिसकी दूरी लगभग 223 मीटर लम्बाई एवं 5 मीटर चौडाई है जो रास्ता अप्रार्थी के खेतं में से शुरू से ही चला आ रहा है इसी रास्ते से प्रार्थी शुरू से ही आते जाते रहते है। उक्त रास्ता श्रीडूंगरगढ़ से बीदासर सड़क के रास्ते से फटकर अप्रार्थी के खेत में से गुजरता है उक्त रास्ता शुरू से ही चला आ रहा है प्रार्थी के खेत का यही एकमात्र रास्ता है जिससे प्रार्थी अपने खेत में आता जाता है। उक्त खेत में प्रार्थी का विधमान रास्ता है जिसकी चौड़ाई 5 मीटर एवं लम्बाई 223 मीटर है प्रार्थी का रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खेत खसरा नम्बर 282 तादादी 6.5900 हैक्टेयर रोही ख्यिाणीबास के श्रीडूंगरगढ़ से बीदासर सड़क से फटकर अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 के खेत में से होता हुआ प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 589/280 तादादी 0.5021 हैक्टेयर, रोही ख्यिाणीबास में प्रवेश करता है। उक्त रास्ते को दर्शाते हुए नजरी फर्द मौका का नक्शा संलग्न किया जा रहा है जिसमें X से Y श्रीडूंगरगढ़ से बीदासर सड़क है व लाल स्याही से मार्क A से B अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के खेत से गुजरता हुआ रास्ता है जिसकी लम्बाई 223 मीटर है जो प्रार्थी के खेत में जाता है जो अन्त्यत आवश्यक एवं प्रार्थी के खेत तक पहुचने का एकमात्र रास्ता है उक्त रास्ता सुविधा का न होकर आवश्यकता का है उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी द्वारा अपने खेत तक पहुचने का अन्य रास्ता नही है। प्राथी के खेतों में आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नही है यही एकमात्र प्रार्थी के आने जाने का एकमात्र रास्ता है जिससे प्रार्थी शुरू से ही इसी रास्ते से होकर अपने अपने खेत में आती जाती है। प्रार्थी का रास्ता अप्रार्थी [illegible] 1 व 2 के खेत खसरा नम्बर 589/280 तादादी 0.5021 हैक्टेयर में से 223 [illegible] 5 [illegible] 1115 वर्गमीटर है। प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.04.28 16:14:17 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी संख्या 1 व 2 को रास्ते के क्षेत्रफल की सरकारी डी.एल.सी. दर की दोगुना कीमत अदा करने को तैयार है। प्रार्थी इसी रास्ते से आते जाते है इसलिए प्राथी द्वारा यही रास्ता मांगना आवश्यक एवं मजबूरी है। यही ही एकमात्र एवं अन्यन्त आवश्यकता का रास्ता होने के कारण प्रार्थी द्वारा कम चौड़ाई के रास्ते की मांग की गई है। प्रार्थी की एवं रास्ते की भूमि रोही ख्यिाणीबास में अवस्थित है जो श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार में होने से श्रीमानजी को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार हासिल है। प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद एंव पूर्ण न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है । अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी के नाम से खातेदारी खेत खसरा नम्बर 589/280 तादादी 0.5021 हैक्टेयर रोही ख्यिाणीबास तहसील श्रीडूगरगढ़ का रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खसरा नम्बर 282 तादादी 6.5900 हैक्टेयर में से 223 मीटर लम्बा एवं 5 मीटर चौडा कुल 1115 वर्गमीटर सलग्न नक्शे में दर्शाये अनुसार रास्ता को राजस्व रिकार्ड में गै.मु. कटाणी दर्ज किया का आदेश अप्रार्थी संख्या 3 को फरमाने की कृपा फरमावें ।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर इकबाली जवाब पेश किया गया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने मौका रिपोर्ट पेश की गई। बहस प्रार्थना पत्र उभयपक्षकारान सुनी गई।

प्रार्थी ने बहस करतें हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने मौजूदा रास्ते का विस्तार करके रास्ता बनाने के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क की उपधारा ख के अर्न्तगत अनुमति के लिए आवेदन किया है जो सही है जिनको हम अप्रार्थी स्वीकार करते है कि ख्यिाणीबास के खसरा नम्बर 282 तादादी 6.5900 हैक्टेयर में से जाता हुआ खसरा नम्बर 589/280 में प्रवेश करता हुआ प्रार्थी के खेत तक जाता है जो 223 मीटर लम्बा एवं 5 मीटर चौडा है गुजरता हुआ प्रार्थी के खेत मे प्रवेश करता है जिसकी लम्बाई 223 मीटर एवं चौड़ाई 5 मीटर है सड़क से फटकर मध्य में से निकलता हुआ 223 मीटर लम्बा एवं 5 मीटर चौड़ा कुल रास्ता कुल 1115 वर्गमीटर (0.1115 हैक्टेयर) उक्त रास्ता शुरू से ही चला आ रहा है जिसको हम काश्तकारो ने आपसी सहमति से बिना प्रतिफल के तय कर लिया है जिसको राजस्व रिकार्ड में रास्ता के रूप में दर्ज करवाने के लिए हम अप्रार्थी पूर्णतः सहमत है जिसकी लम्बाई 223 मीटर एवं चौड़ाई 5 मीटर है जो कुल रास्ता कुल 1115 वर्गमीटर (0.1115 हैक्टेयर) स्वीकृत कर प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि रोही ग्राम खींयाणी बास के ख.नं. 282 व 589/280 खातेदार रामेश्वरलाल पुत्र बन्नाराम निवासी बाना का मौका देखा गया मौके पर खसरे में श्रीडूंगरगढ से बीदासर राजमार्ग से ग्राम बाना से 282 व 589/280 उक्त खसरों से होकर चालू (चलानी) मार्ग है। [illegible] चालू हालत में है । उक्त खसरों से पश्चिमी दिशा में राजस्व ग्राम बाना (श्रीडूंगरगढ़ से [illegible] राज्य मार्ग) में स्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.04.28 16:14:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

कटाणी मार्ग से 388 मीटर दूरी पर स्थित है । उक्त रास्ता ही प्रार्थी के खेत में जाने के लिये सबसे सुविधाजनक रास्ता है। तथा श्रीडूंगरगढ़ से बीदासर सड़क (कटाणी मार्ग) ही सबसे निकटतम कटाँणी मार्ग है।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। **अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 द्वारा अपने खातेदारी खेत खसरा नंबर 282 में से चालू प्रचलित रास्ता को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करनें हेतु अपनी सहमति प्रदान की गई है।** संक्षेप में अप्रार्थीगण को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में किसी पक्ष को आपत्ति नहीं होने के कारण प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

चूंकि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 द्वारा अपने खातेदारी खेत खसरा नंबर 282 में से चालू प्रचलित रास्ता को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करनें हेतु अपनी सहमति प्रदान की गई है। अतः श्रीडूंगरगढ़ से बीदासर सड़क से अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 के खातेदारी खेत खसरा नंबर 282 के दक्षिणी सींव के समानान्तर मार्ग जो प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 589/280 तक चालू है को मौर मुमकिन रास्ता के रूप में लाल स्याही से अंकन किया जाकर रिकार्ड में अमल दरामद किया जाने एवं प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 282 में से 388 मीटर लम्बा व 5 मीटर चौडा कुल 1940 वर्गमीटर (0.194 हैक्टेयर) भूमि रास्ते के रूप में उपयोग में ली जायगी जिसकी डी.एल.सी रेट 11,19,700 प्रति हैक्टेयर से कुल राशि 2,17,222/–रूपये से दुगुनी प्रतिकर राशि (4,34,444/–रूपये) प्रार्थी से अप्रार्थी संख्या 01 ता 2 को दिलाया जाना न्यायोचित है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अनुसार डीएलसी दर से दो गुना प्रतिकर राशि का बैंक ड्राफ्ट प्रार्थी से अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 के नाम निर्णय के 15 दिवस में अप्रार्थी संख्या 3 को प्रस्तुत करने पर अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 के खेत खसरा नम्बर 282 में से प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते का अंकन आदेशानुसार कर रिकार्ड में अमल दरामद करें।

आदेश आज दिनांक 30.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में कम होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.04.28 16:14:17 IST
Reason: SelfAttested